न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः— 12/08/2024 रजू दिनांकः 05.01.2024 रजि0 न0 2024/8

अपीलार्थीः—

श्री रामखिलाडी मीना पुत्र श्री धनसीराम मीना, ग्राम—डेरा, तहसील रैणी, जिला अलवर (राज0)।

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 29.01.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारां प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 15.01.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये प्रतिलिपि पत्र क्रमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2024/100 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा अपील प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2023 में वर्णित प्रथम आवेदन दिनांक 09.10.2023 के द्वारा आ.ख.न. 469 ग्राम—डेरा, तहसील रैणी स्थित कुआं व अन्य परिसम्पत्तियों के मुआवजा भुगतान के संबंध में स्वयं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही बाबत सूचना चाही गई थी, जिसके संबंध में संबंधित अनुभाग से प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत मुआवजा भुगतान संबंधी प्रकरण पत्रावली प्रस्तुतीकरण के अभाव में भुगतान लंबित है, विनिश्चय पत्र संख्या लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2023/2135 दिनांक 22.11.2023 की प्रति संलग्न कर अवगत कराया है कि इस प्रकार प्रश्नगत मुआवजा भुगतान संबंधी कार्यवाही समुचित पत्रावली प्रस्तुत किए जाने उपरान्त ही निष्पादित की जा सकती है।
5. पत्रावली अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के द्वारा पूर्व पत्रांक 2135 दिनांक 22.11.2023 से अवगत कराया गया था कि प्रश्नगत मुआवजा भुगतान संबंधी कार्यवाही समुचित पत्रावली प्रस्तुत किए जाने उपरान्त ही निष्पादन किया जा सकेगा। किन्तु प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में आदिनांक तक की स्थिती का उल्लेख नहीं किया गया है, क्या अपीलार्थी द्वारा आदिनांक तक प्रश्नगत मुआवजा भुगतान संबंधी कार्यवाही की समुचित पत्रावली प्रस्तुत की जा चुकी है अथवा नहीं। अतः प्रत्यर्थी निर्देशित किया जाता है कि संबंधित शाखा से आदिनांक तक की स्थिती स्पष्ट कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। प्रश्नगत मुआवजा भुगतान संबंधी कार्यवाही की समुचित पत्रावली प्रस्तुत कर दिये जाने की स्थिती में सूचना देयता की श्रेणी में हो तो अपीलार्थी को वांछित सूचना निशुल्क उपलब्ध कराई जावें, अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 29.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)